रा.पु.मु.ज./5–99/70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं.

1. जिला.चौकी भ्र0 नि0 ब्यूरो, धौलपुर.....थाना. प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर... वर्ष ..2022.
   प्र. इ. रि. स. ......454/22........ दिनांक ......16/11/2022......
2. (अ) अधिनियम भ्र0 नि0 (संशोधित) अधिनियम **वर्ष** 2018 . धारायें.......7, 7 ए.......
   (ब) अधिनियम ....आई.पी.सी.............................धारायें..............120 बी.......
   (स) अधिनियम ....धारायें.........................
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ......273.......समय.......3:45 P.M.
   (ब) अपराध घटने का दिन–दि.–मंगलवार /15.11.2022/12.25 पी.एम...........
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक–12.11.2022 समय.–11.15 ए.एम. ....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :– सब्जी मन्डी राजाखेड़ा जिला धौलपुर।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी –उत्तर , दूरी करीब 35 किमी.............
   (ब) पता – ....बीट सख्या ......जरायमदेहीसं.................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना.............जिला.............

6.परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम **श्री रमेश**
   (ब) पिता /पति का नाम श्री बाबूलाल जाति जोशी .....(स) जन्म तिथि /वर्ष 43 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता.........भारतीय ....
   (य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी............जारी होने की जगह............
   (र) व्यवसाय...... ।
   (ल) पता....ग्राम –सादिकपुर पुलिस थाना मनियॉ जिला धौलपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1–श्री कप्तान सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति खटीक उम्र 37 साल निवासी वार्ड नं. 10 हाट मैदान राजाखेड़ा धौलपुर हाल तकनीकी सहायक ग्रेड–द्वितीय सब स्टेशन जेवीवीएनएल जाटोली धौलपुर।

2–दिनेश कुमार पुत्र श्री सोवरन जाति कुम्हार उम्र 38 साल निवासी वार्ड 30 रूहाई मौहल्ला राजाखेड़ा धौलपुर दलाल (प्राइवेट व्यक्ति)

8-परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.................

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....11,000/–रू0 रिश्वत राशि ....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)....... ....11,000/–रू0 रिश्वत राशि ....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) ....नहीं.....................
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)..................

सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर। विषयः– शिकायत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाने बाबत। महोदय, प्रार्थी रमेश पुत्र बाबुलाल जाति जोशी निवासी सादिकपुर पुलिस थाना मनियॅा अर्जी इस प्रकार है कि मेरे बिजली कनेक्शन जो कि मेरी पत्नी श्रीमती ज्योति के नाम से आवेदन किया है मेरे द्वारा वर्ष 2017 में भी घरेलू बिजली कनेक्शन हेतु आवेदन किया था जिसका डिमान्ड नोटिस मेरे द्वारा जमा करा दिया था लेकिन मेरे घर पर कोई कनेक्शन नहीं हुआ और ना ही कोई मीटर लगा अब मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर हमारे फीडर का लाईनमैन कप्तान सिह द्वारा पुराना बिजली का बिल बकाया होने का भय दिखाकर एवं नया मीटर लगाने की एवज में मुझसे 12000/–रूपपे (बारह हजार) रिश्वत राशि की मांग कर रहा है मै लाईनमैन को रिश्वत नहीं देना चाहता हूॅ मैं लाईनमैन रिश्वत लेते हुऐ रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूॅ मेरा लाईनमैन से

कोई पुराना लेन–देन है और नाही कोई रंजिश है एस.डी. रमेश, रमेश पुत्र बाबुलाल जाति जोशी निवासी सादिकपुर पो. थाना मनियॉ जिला धौलपुर मो. नं. 8094751480 दिनांक 12.11.2022 एसडी कपिल कुमार दिनांक 15.11.2022 एसडी हरजीत सिंह दि. 15.11.22, एस.डी. सुरेन्द्र सिंह पुलिस उप अधीक्षक दि. 14.11.2022

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 12.11.2022 को वक्त 11.15 ए.एम. पर परिवादी श्री रमेश पुत्र श्री बाबुलाल जाति जोशी उम्र 43 वर्ष निवासी सादिकपुर पुलिस थाना मनियॉ जिला धौलपुर ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति सहित श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर के नाम संबोधित की हुई मन सुमन ठाकुर कार्यवाहक मुख्य आरक्षक बैल्ट नं. 67 को पेश की परिवादी की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर रिपोर्ट में अंकित तथ्यों बाबत परिवादी श्री रमेश से पूछताछ की गई तो परिवादी श्री रमेश ने रिपोर्ट स्वयं के द्वारा लिखी हुई होना बताया व अंकित तथ्य सही होना तथा रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि लाईनमैन श्री कप्तान सिंह से इस संबंध में बात की तो हमारे फीडर पर कार्यरत लाईनमैन श्री कप्तान सिंह द्वारा मुझसे 12,000 रूपये रिश्वत की मांग की है। प्रार्थी रिश्वत नही देना चाहता है एवं लाईनमैन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता है। परिवादी ने लाईनमैन से कोई पुराना लेन–देन अथवा कोई रजिश नहीं होना बताया है। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं की गई दरियाफ्त आदि से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत की मांग का है चूँकि चौकी इन्चार्ज श्री सुरेन्द्र सिंह पुलिस उप अधीक्षक राजकार्य से जयपुर गये हुए हैं जिन्हें उपरोक्त लिखित रिपोर्ट बाबत जरिये दूरभाष अवगत कराया जिस पर श्रीमान द्वारा लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर नियमानुसार विभागीय वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी के हमराह श्री योगेश सिंह कानि. 88 को आरोपी के पास भेजकर रिश्वत राशि की मांग का गोपनीय सत्यापन कराकर सत्यापन कार्यवाही से अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये जिसका श्रीमान के निर्देशानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। अतः रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन आईन्दा करवाया जावेगा परिवादी श्री रमेश को गोपनीयता बनाये रखने की बाद हिदायत देकर रवाना किया तथा सत्यापन पर जैसी स्थिति सामने आयेगी तद्नुसार श्रीमान को अवगत कराया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 13.11.2022 को सुमन ठाकुर कार्यवाहक मुख्य आरक्षक द्वारा कार्यालय आलमारी से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर निकालकर श्री योगेश सिंह कानि. 88 को चालू तथा बन्द करने का तरीका बताकर गवाह मन् सुमन ठाकुर कार्यवाहक मुख्य आरक्षक व श्री रवि कुमार कानि. 352 के सामने जरिये फर्द सुपुर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी द्वारा बताये गये स्थान के पास पहुंचकर परिवादी श्री रमेश को विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय बोलकर सुपुर्द करे एवं बाद सत्यापन विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय परिवादी के साथ कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर मय सरकारी मोटरसाईकिल से राजाखेड़ा रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर तैयार की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल रनिंग नोट की गई। श्री योगेश सिंह कानि. 88 जरिये सरकारी मोटरसाईकिल एसीबी कार्यालय धौलपुर में उपस्थित आया हालात इस प्रकार रहे कि चौकी हाजा से रवाना होकर राजाखेड़ा पहुँचा जहां पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री रमेश पुलिस चौकी राजाखेड़ा के पास उपस्थित मिला इस पर मैने विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर अपना परिचय बोलकर परिवादी श्री रमेश को गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन हेतु श्री कप्तान सिह लाईनमैन के पास मय विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर भेजा। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री रमेश आरोपी श्री कप्तान सिह लाईनमैन से वार्ता कर मेरे पास आकर मुझे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू हालात में सुपुर्द किया जिसे मैने बन्द कर सुरक्षित कब्जे लिया, परिवादी ने बताया कि मेरी आरोपी श्री कप्तान सिंह से वार्ता हुई है आरोपी ने मेरे घर का मीटर लगाने की एवज में 12000 रूपये की रिश्वत की मांग की थी मेरे द्वारा बार बार कहने पर 11,000 रूपये रिश्वत के रूप में लेने को सहमत हुआ आरोपी श्री कप्तान सिंह लाईनमैन ने मुझसे आज रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिश्वत के रूप में 5000 रूपये मार्फत दलाल

(प्राईवेट व्यक्ति) से प्राप्त कर लिये है तथा शेष 6000 रूपये आईन्दा दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) को देने को कहा। उक्त वार्ता को मैने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। उक्त वार्ता के संबंध में श्रीमान सुरेन्द्र सिंह उप अधीक्षक पुलिस जरिये दूरभाष अवगत कराया जिससे डिप्टी साहब ने निर्देश दिये कि मैं राजकार्य से बाहर हूँ, विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखे तथा परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने एवं कल मेरे कार्यालय हाजा धौलपुर आने पर परिवादी को उपस्थित होने की हिदायत देकर रवाना करे जिस पर मैने परिवादी को श्री रमेश को गोपनीयता बनाये रखने एवं कल कार्यालय हाजा धौलपुर में उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया। विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय हाजा की अलमारी में लॉक किया जाकर सुरक्षित रखा गया। दिनांक 14.11.2022 को मन् पुलिस उप अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह मय सरकारी वाहन मय चालक के उपस्थित चौकी धौलपुर आने पर श्रीमती सुमन ठाकुर म. कानि. 67 द्वारा परिवादी श्री रमेश की लिखित रिपोर्ट तथा उसके साथ पेश कार्यवाही पुलिस, फर्दात तथा विभागीय वाईस रिकार्डर (जो योगेश सिंह कानि. 88 द्वारा कार्यालय हाजा की अलमारी में सुरक्षित रखा विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है) को अलमारी से बाहर निकालकर मय परिवादी रमेश के अग्रिम कार्यवाही हेतु मुझे सुपुर्द किये गये। जिस पर मैने परिवादी रमेश की लिखित रिपोर्ट एवं अन्य कागजात, फर्दात आदि का अवलोकन किया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो परिवादी रमेश ने पूर्व में दर्ज कराये गये हालातो की पुष्टी की आरोपी श्री कप्तान सिह लाईनमैन को पकड़वाने के लिए मैने दिनांक 12.11.2022 को आपके कार्यालय में शिकायत दी थी व जिस पर मुझे एसीबी कार्यालय के एक कानि. श्री योगेश सिंह के साथ आरोपी श्री कप्तान सिंह लाईनमैन के पास भेजकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन कराया था। मेरी बात आरोपी से हो गई है आरोपी ने मेरे घर का मीटर लगाने की एवज में 12000 रूपये की रिश्वत की मांग की है मेरे द्वारा निवेदन करने पर करने पर 11,000 रूपये रिश्वत के रूप में लेने को सहमत हुये आरोपी श्री कप्तान सिंह लाईनमैन ने मुझसे रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिश्वत के रूप में 5000 रूपये दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) जिसका नाम दिनेश कुमार है जो राजाखेड़ा का रहने वाला के मार्फत प्राप्त कर लिये है तथा शेष 6000 रूपये व अन्य कागजात आईन्दा दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) को देने को कहा। इसके बाद वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को कम्प्यूटर की मदद से चालू कर टेबल स्पीकरों की मदद से सुना गया तो परिवादी के कथनों मुताबिक वार्ता रिकार्ड होना पाई गई व वार्ता में परिवादी के कथनो की पुष्टि होना पाया गया। वाईस रिकार्डर को कार्यालय के विभागीय कम्प्यूटर में कनेक्ट किया जाकर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को विभागीय कम्प्यूटर के टेबल स्पीकर कनेक्ट किया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी व गवाहान श्री रवि कुमार कानि. 352 व श्री योगेश कानि. 88 की उपस्थिति में टेबल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से पूछ–पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई तथा उक्त वार्ता की मूल पैन ड्राईव न्यायालय हेतु व तीन डीबीडीयां क्रमश– दो मुलजिम प्रति एवं एक आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मूल पैन ड्राईव व दो मुलजिम डीबीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त कर कब्जा एसीबी लिया जाकर उन पर मार्क A अंकित किया श्री रविन्द्र हैड़ कानि. 28 मुख्य आरक्षक मालखाना प्रभारी के सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया तथा आईओ प्रति डीवीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं अन्य कागजातों एवं रिश्वत मांग सत्यापन तैयार फर्द ट्रासकिप्ट से श्री कप्तान सिंह लाईनमैन के द्वारा परिवादी के घरेलू बिजली कनेक्शन का मीटर लगाने की एवज में 12000 रूपये की रिश्वत की मांग करना एवं परिवादी के द्वारा निवेदन करने पर 11,000 रूपये रिश्वत के रूप में लेने को सहमत होना आरोपी श्री कप्तान सिंह लाईनमैन द्वारा परिवादी से रिश्वत के रूप में 5000 रूपये दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) के मार्फत प्राप्त किये तथा शेष 6000 रूपये आईन्दा दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) को देने के लिए कहा परिवादी श्री रमेश ने बताया कि आज आरोपी मौजूद नही होने के कारण आज रिश्वत राशि दिया जाना सम्भव नही है और मेरे से आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत राशि मै कल लेकर उपस्थित आ

जाऊगा। अतः परिवादी को रिश्वत का इन्तजाम कर कल कार्यालय उपस्थित होने एवं गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूख्सत किया गया। दिनांक 15.11.2022 को परिवादी श्री रमेश उपस्थित कार्यालय हुआ जिसने बताया कि मैने रिश्वत में दी जाने वाली राशि 6,000/–रूपये का इन्तजाम कर लिया ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह तलबी बाबत उप पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग धौलपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री मनोज कुमार कानि. 179 को स्वतन्त्र गवाह लेकर आने हेतु कार्यालय पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग धौलपुर मय तहरीर रवाना किया गया। श्री मनोज कुमार कानि. 179 कार्यालय पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग धौलपुर से दो गवाह साथ लेकर उपस्थित कार्यालय आया। दोनो गवाहान से उनके नाम पते पूछे तो उन्होने क्रमशः अपने नाम कपिल कुमार पुत्र स्व. श्री राजेश कुमार जाति धोबी उम्र 31 साल निवासी भामतीपुरा मोहल्ला थाना कोतवाली जिला धौलपुर हाल वरिष्ठ सहायक, उप पंजीयक कार्यालय धौलपुर एवं हरजीत सिह पुत्र श्री हरभजन सिंह जाति जटसिक्ख उम्र 28 साल निवासी तुहिया पट्टी उच्चैन पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर हाल वरिष्ठ सहायक, उप पंजीयक कार्यालय धौलपुर होना बताये, जिनसे गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने बाबत सहमति चाही तो उक्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने अपनी सहमति दी, तत्पश्चात दोनो गवाहो का उपस्थित परिवादी रमेश को बुलाकर आपस में एक दूसरे से परिचय करवाया गया तथा दोनो गवाहों को परिवादी रमेश द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट दिनांक 12.11.2022 का अवलोकन कराया जाकर पढाया गया तथा परिवादी से वार्ता कराई गई तथा परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर दोनो गवाहों के हस्ताक्षर दिनांक सहित अंकित करवाये गये। दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री कपिल कुमार वरिष्ठ सहायक एवं श्री हरजीत सिह वरिष्ठ सहायक के सामने परिवादी श्री रमेश पुत्र श्री बाबुलाल जाति जोशी उम्र 43 वर्ष निवासी सादिकपुर पुलिस थाना मनियॉ जिला धौलपुर ने आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वती राशि 500–500 रूपये के 12 भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 6,000/–(छः हजार) रूपये अपने पास से निकालकर मन पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

कमसंख्या	नोटो का विवरण	नोटो के नम्बर
1	एक नोट 500 रूपये का	2HQ 636251
2	एक नोट 500 रूपये का	2HQ 636252
3	एक नोट 500 रूपये का	2HQ 636253
4	एक नोट 500 रूपये का	2HQ 636254
5	एक नोट 500 रूपये का	2HQ 636255
6	एक नोट 500 रूपये का	2HQ 636256
7	एक नोट 500 रूपये का	2HQ 636257
8	एक नोट 500 रूपये का	2HQ 636258
9	एक नोट 500 रूपये का	2HQ 636259
10	एक नोट 500 रूपये का	2HQ 636260
11	एक नोट 500 रूपये का	2HQ 636261
12	एक नोट 500 रूपये का	2HQ 636262

उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल–बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो स्वतन्त्र गवाहान ने नोटों के नम्बरों का मिलान सहीं होना बताया। तत्पश्चात श्री मनोज कुमार कानि. नं. 179 से कार्यालय हाजा की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकाला कर आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वती राशि 500–500 रूपये के 12 भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 6,000/–(छः हजार) रूपये के नोटों पर श्री मनोज कुमार कानि. से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली–भांति लगवाया गया। परिवादी श्री रमेश की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री कपिल कुमार, वरिष्ठ सहायक से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 6,000/–रूपये के नोटों को श्री मनोज कुमार कानि. 179 से सीधे ही परिवादी द्वारा पहने हुए पेंट की दाहिनी तरफ की साईड की जेब में रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। परिवादी को आरोपीगण से अभिवादन के दौरान् हाथ नही मिलाने की भी हिदायत की गई। इसके बाद गवाह श्री कपिल कुमार वरिष्ठ सहायक से एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें ट्रेप बॉक्स में रखी शीशी में से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री मनोज कुमार कानि. 179 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिकिया का प्रयोगिक दृष्टान्त दोनों गवाहान व परिवादी रमेश को समझाया गया तथा गिलास के धोवन को कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया श्री मनोज कुमार कानि. के दोनों हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन एवं प्रयोग में लिये गये कॉच के गिलास को श्री मनोज कुमार कानि. से कार्यालय की आलमारी में रखवाया जाकर लॉक किया गया। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन पुलिस उप अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर को वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत की गई। इस समस्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिव की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये। समस्त पार्टी के हाथ सावुन पानी से साफ कराने एवं परिवादी को रिश्वत स्वीकृति इशारे के बारे में अवगत कराने के बाद श्री रीतराम हैड़ कानि. 45 को मय परिवादी श्री रमेश के हमराह निजी वाहन से आगे–आगे रवाना कर उनके पीछे –पीछे मन पुलिस उप अधीक्षक मय श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक दोनो स्वतन्त्र गवाहान के मय ट्रेप बॉक्स, विभागीय लेपटॉप मय प्रिन्टर के जरिये सरकारी वाहन मय चालक सरमन के एसीबी कार्यालय धौलपुर से वास्ते ट्रेप कार्यवाही राजाखेड़ा धौलपुर रवाना हुआ। श्री रविन्द्र हैड़ कानि. 28, श्री योगेश सिंह कानि. 88 श्री रवि कुमार कानि. 352 श्री ब्रहम्मदेव सिंह कानि. 449 को निजी वाहनो से लाईनमैन कप्तान सिह की निगरानी एवं ट्रेप के बाद डिटेन किये जाने हेतु उसकी प्राप्त लोकेशन जाटोली सब स्टेशन जे. वी.वी.एन.एल धौलपुर रवाना किया गया एवं हिदायत की गई कि दलाल प्राईवेट व्यक्ति दिनेश कुमार को ट्रेप किये जाने के पश्चात् जरिये मोबाईल सूचना देने पर आरोपी कप्तान सिह

लाईनमैन पर निगरानी रखे। नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री मनोज कुमार कानि. 179 को बाद हिदायत एसीबी चौकी धौलपुर में छोडा गया। मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा सरकारी व निजी वाहन से राजाखेड़ा सब्जी मन्डी के पास पहुंचा और वाहनों को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के नियत स्थान से कुछ दूरी पर रोड की साईड में अन्य खडे हुए वाहनों के पास खडा करवाया गया तथा परिवादी रमेश को आरोपी के बताये स्थान पर रवाना किया व उसके पीछे–पीछे श्री रीतराम हैड़ कानि. 45 मय स्वंतत्र गवाहन श्री कपिल कुमार व हरजीत सिंह को रवाना कर मन पुलिस उप अधीक्षक मय शेष टीम व परिवादी की लोकेशन के आस–पास अपने आप को छुपाते हुए खडे होकर परिवादी के नियत इशारे का इन्तजार करने लगे। दोनो स्वतन्त्र गवाहान के सामने मन उप अधीक्षक पुलिस सुरेन्द्र सिंह को परिवादी श्री रमेश के नियत इशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के सब्जी मन्डी राजाखेड़ा पहुंचा जहां परिवादी रमेश उपस्थित मिला जिससे पूर्व में सुपुर्दशुदा वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द किया जाकर सुरक्षित रखा। परिवादी श्री रमेश ने एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि यही दिनेश कुमार दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) है और उसने मेरे से रिश्वत के 6,000/–रूपये लेकर अपने दोनो हाथों से गिनकर पहनी हुई शर्ट की बायीं जेब में रख लिये हैं। इस पर पास खडे व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दिनेश कुमार पुत्र श्री सोवरन जाति कुम्हार उम्र 38 साल निवासी वार्ड 30 रूहाई मौहल्ला राजाखेड़ा धौलपुर होना बताया जिसे मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के स्वंय का परिचय देने हुऐ दिनेश कुमार डिटेन किया जाकर यथास्थिति में रहने की हिदायत कर परिवादी से ली गई रिश्वती राशि 6,000/–रूपये के सम्बन्ध में पूछा तो उक्त दिनेश कुमार ने अपने दोनो हाथों को आपस में रगडने लगा इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार दिनेश कुमार का बायां हाथ श्री रीतराम हैड़ कानि. 45 एवं दाहिना हाथ श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक कलाईयों के ऊपर से पकड लिये दिनेश कुमार से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो उसने उक्त राशि लाईनमैन श्री कप्तान सिंह के कहने पर लेना बताया और अवगत कराया कि उक्त राशि लाईनमैन कप्तान सिह मेरे से जो इस समय जाटोली बिजली विभाग में मौजूद है प्राप्त कर सकता है जाटोली सब स्टेशन पर पूर्व से मौजूद एसीबी टीम को लाईनमैन कप्तान सिंह की निगरानी हेतु जरिये टेलीफोन हिदायत की गई और मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान टीम व स्वतंत्र गवाहान व आरोपी दिनेश कुमार को सरकारी वाहन में बिठाकर वास्ते दिलाने रिश्वत राशि जाटोली सब स्टेशन धौलपुर के लिए रवाना हुआ दिनेश कुमार के हाथों को पूर्व की भॉति सुरक्षित कलाईयों के ऊपर से पकडवाये रखा जाटोली सब स्टेशन के पास पहुॅचकर दिनेश कुमार को लाईनमैन कप्तान सिह के पास रिश्वत राशि दिये जाने हेतु भेजा गया, लेकिन लाईनमैन कप्तान सिंह को एसीबी टीम की भनक लग जाने के कारण वहां से जाने लगा जिसे हमराहियान टीम की मदद से रोका व नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कप्तान सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति खटीक उम्र 37 साल निवासी वार्ड नं. 10 हाट मैदान राजाखेड़ा धौलपुर हाल तकनीकी सहायक ग्रेड–द्वितीय सब स्टेशन जेवीवीएनएल जाटोली धौलपुर का होना बताया चूंकि उक्त स्थान पर काफी लोगों की भीड इकट्ठी हो चुकी है जिससे कार्यवाही में व्यवधान पडने की सम्भावना को देखते हुए एवं आसपास कार्यवाही हेतु अन्य कोई सुरक्षित स्थान नहीं होने पर दिनेश कुमार को दोनो हाथ पकडी हुई अवस्था में व कप्तान सिह को हमराह लेकर एसीबी चौकी धौलपुर रवाना होकर एसीबी चौकी धौलपुर पहुॅचे जहां आरोपी प्राईवेट व्यक्ति दिनेश कुमार से उक्त रिश्वत राशि 6000/–रूपये व रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान प्राप्त किये रिश्वत राशि 5,000/–रूपये के बारे में पूछा तो उसने बताया कि लाईनमैन कप्तान सिंह मेरा जान पहचान का है उसके कहने पर मैने यह रूपये प्राप्त कर लिये थे। कप्तान सिंह ने उक्त रिश्वत राशि को बाद में मेरे से प्राप्त कर लेने की बात कही थी। उक्त रिश्वत राशि के संबंध में लाईनमैन कप्तान सिंह से पूछा तो उसने कहा कि मैने कोई रूपये नहीं लिये परिवादी श्री रमेश का पुराना बकाया बिल था इस संबंध में मैने वार्ता की थी मैने कोई रिश्वत राशि नहीं मागी इस पर परिवादी श्री रमेश ने कहा कि लाईनमैन कप्तान सिंह झूठ बोल रहा है मेरे पास

कोई बिल बिजली विभाग से प्राप्त नहीं हुआ मैने मेरे घर पर बिजली का घरेलू कनेक्शन हेतु आवेदन किया था जो कि मेरी पत्नी के नाम से है इस कनेक्शन का मीटर लगाने एवं पुराने बिजली बिल का भय दिखाकर उसे माफ कराने की एवज में मुझसे रिश्वत राशि मांगी थी। रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान प्राईवेट व्यक्ति दलाल दिनेश कुमार को मुझसे 5000/–रूपये रिश्वत राशि दिलवाई थी व शेष रिश्वत राशि 6000/–रूपये भी दिनेश कुमार को देने के लिए मुझसे कहा था जिसकी एवज में आज दिनांक 15.11.2022 को मैने शेष रिश्वत राशि 6000/–रिश्वत राशि लाईनमैन कप्तान सिंह के बताये अनुसार प्राईवेट व्यक्ति दिनेश कुमार को दी जाकर मैने मेरे फोन से लाईनमैन कप्तान सिंह को फोन किया था व दिनेश कुमार की भी मैने फोन से बात कराई थी जिस पर लाईनमैन कप्तान सिह ने रिश्वत राशि 6000/–रूपये दिनेश कुमार को देने की सहमति जाहिर की थी। जिस पर आपकी ट्रेप टीम ने आकर दिनेश कुमार पकड़ लिया था। इस पर आरोपी दिनेश कुमार व कप्तान सिंह से पुनः रिश्वत राशि प्राप्त करने बाबत् पूछा तो दोनो चुप हो गये व कोई जवाब नही दिया इससे यह स्पष्ट है कि आरोपी लाईनमैन कप्तान सिंह द्वारा परिवादी रमेश कुमार के वैध कार्य को करने की एवज में लोकसेवक होते हुये वैध पारिश्रमिक के अलावा अन्य भारतीय मुद्रा की राशि प्राईवेट व्यक्ति दिनेश कुमार के मार्फत प्राप्त करना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध होने से अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से एक स्टील के कटोरे को निकलवाकर कार्यालय के बाहर रखी हुई पानी से भरी हुई प्लास्टिक की बाल्टी में से साफ पानी मंगवाकर स्टील के कटोरे को साफ पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर गवाह श्री कपिल कुमार वरिष्ठ सहायक से हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर स्टील के कटोरे के घोल में श्री दिनेश कुमार प्राईवेट व्यक्ति के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो पानी (धोवन) का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी संबंधितो को दिखाया तो सभी ने पानी का रंग गुलाबी होना बताया इस पर उक्त पानी (धोवन) को दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क आर एच–1 व आर एच–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पुनः स्टील के कटोरे को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में श्री दिनेश कुमार प्राईवेट व्यक्ति के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो पानी (धोवन) का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी संबंधितो को दिखाया तो पानी का रंग गुलाबी होना बताया इस पर उक्त पानी (धोवन) को दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल एच–1 व एल एच–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी दिनेश कुमार से रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा तो उसने बताया कि रिश्वत राशि 6000/–रूपये मेरी पहनी हुई शर्ट की बायीं जेब में रखी हुई है। इस पर गवाह श्री हरजीत सिंह वरिष्ठ सहायक से आरोपी की पहनी हुई शर्ट की बायीं जेब से रिश्वत राशि को निकलवाकर गिनवाया तो भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 12 नोट कुल 6,000 रूपये रिश्वती राशि पाये गये जिनका स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी से उक्त नोटो का मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हुबहु होना पाये गये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रम संख्या	नोटो का विवरण	नोटो के नम्बर
1	एक नोट 500 रूपये का	2HQ 636251
2	एक नोट 500 रूपये का	2HQ 636252

3	एक नोट 500 रूपये का	2HQ 636253
4	एक नोट 500 रूपये का	2HQ 636254 .
5	एक नोट 500 रूपये का	2HQ 636255
6	एक नोट 500 रूपये का	2HQ 636256
7	एक नोट 500 रूपये का	2HQ 636257
8	एक नोट 500 रूपये का	2HQ 636258
9	एक नोट 500 रूपये का	2HQ 636259
10	एक नोट 500 रूपये का	2HQ 636260
11	एक नोट 500 रूपये का	2HQ 636261
12	एक नोट 500 रूपये का	2HQ 636262

उक्त नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया एवं आरोपी दिनेश कुमार प्राईवेट व्यक्ति द्वारा पहनी हुई शर्ट जिसकी सामने की बायीं तरफ की जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई को उतरवाई जाकर अवलोकन किया गया तो शर्ट बरंग हल्का बैंगनी है जिस पर MAGIC COTTON का स्टीकर लगा हुआ है को ट्रेप बॉक्स में से स्टील का कटोरा निकलवा कर उसे साफ पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी डाल कर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर उसमें शर्ट की जेब को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एसपी–1 व एसपी–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया व शर्ट की जेब को सुखवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शर्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "एस" अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी रमेश द्वारा रिश्वत राशि देने के समय प्राईवेट व्यक्ति दिनेश कुमार को उसकी पत्नि श्रीमती ज्योति का घर के बहार खड़ी हुई का फोटो भी दिया गया जो दिनेश कुमार की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में मिला जो एक खाकी कलर के कागज के लिफाफे में रखा हुआ है जिसे बतौर सबूत जप्त कर एक कपड़े की थैली में शील्ड मोहर कर मार्क "एफ" दिया गया। आरोपी दिनेश कुमार से वक्त रिश्वत मांग सत्यापन प्राप्त रिश्वत राशि 5000/–रूपये के बारे पूछा तो उसने अपनी पहनी हुई पेन्ट की बायीं जेब से 5000/–रूपये निकालकर बताया कि उक्त 5000/–रूपये वही राशि है जो मैने दिनांक 13.11.2022 को रमेश से लाईनमैन कप्तान सिंह के कहने पर प्राप्त की थी। उक्त राशि 5000/–रूपये को भी जप्त किया जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। सभी को शील्ड़ मोहर किया गया। परिवादी से पूर्व में सुपुर्दशुदा वाईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण तैयार किया जावेगा। आरोपी लाईनमैन कप्तान सिंह द्वारा परिवादी रमेश कुमार के वैध कार्य को करने की एवज में लोकसेवक होते हुयें वैध पारिश्रमिक के अलावा अन्य भारतीय मुद्रा की राशि 12,000/–रूपये की मांग करना एवं परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 11,000/–रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होना व रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 5000/–रूपये रिश्वत राशि व मांग के अनुसरण में आज दिनांक 15.11.2022 को 6000/–रूपये प्राईवेट व्यक्ति दिनेश कुमार के मार्फत प्राप्त करना आरोपी दिनेश कुमार व

कप्तान सिंह लाईनमैन का उक्त कृत्य धारा 7, 7 ए पीसी एक्ट (संशोधित) 2018 व धारा 120 बी भादस के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। इस समस्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर नमूना सील फर्द पर अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी कप्तान सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति खटीक उम्र 37 साल निवासी वार्ड नं. 10 हाट मैदान राजाखेड़ा धौलपुर हाल तकनीकी सहायक ग्रेड–द्वितीय सब स्टेशन जेवीवीएनएल जाटोली धौलपुर को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पद व अधिकारों एवं समस्त कानूनी प्रावधानों से अवगत करवाते हुए परिवादी रमेश के वैद्य कार्य को करने की एवज में अपने लिये श्री दिनेश कुमार दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) के जरिये 12,000/–रूपये रिश्वत की मांग करना व परिवादी के निवेदन करने पर 11,000/–रूपये रिश्वत राशि लिये जाने हेतु सहमत होना एवं दिनांक 13.11.2022 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन 5000/–रूपये व मांग के अनुसरण में आज दिनांक 15.11.2022 को रिश्वत राशि 6,000/–रूपये दिनेश कुमार प्राईवेट व्यक्ति के मार्फत प्राप्त करना, उक्त कृत्य धारा 7, 7 ए पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व धारा 120बी आई. पी.सी. का पाये जाने पर उक्त को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री हरजीत सिंह वरिष्ठ सहायक से लिवायी गई तो आरोपी के पास पहने हुए कपडो के अलावा मोबाईल फोन ओप्पो कम्पनी का जिसके आई.एम.ई.आई नं. 863795036754571/863795036754563 जिसमें सिम 8875784605 एयरटेल कम्पनी की चालू हालत में लगी हुई है जिसकी कॉल लॉग का अवलोकन किया गया तो परिवादी के मोबाईल नं. 8094751480 से वार्ता होना पाया गया उक्त मोबाईल को स्विच ऑफ किया जाकर जामा तलाशी में जप्त किया जाकर कब्जे एसीबी लिया गया एवं स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री सोवरन जाति कुम्हार उम्र 38 साल निवासी वार्ड 30 रूहाई मौहल्ला राजाखेड़ा धौलपुर दलाल (प्राइवेट व्यक्ति) को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पद व अधिकारों एवं समस्त कानूनी प्रावधानों से अवगत करवाते हुए परिवादी रमेश के वैद्य कार्य को करवाने की एवज में श्री कप्तान सिह लाईनमैन के लिए रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 5,000/–रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना व मांग के अनुसरण में आज दिनांक 15.11.2022 को 6,000/–रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य धारा 7, 7 ए पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व धारा 120बी आई.पी.सी. का पाये जाने पर उक्त को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री हरजीत सिह वरिष्ठ सहायक से लिवायी गई तो उसके पेन्ट की जेब में एक मोबाईल फोन विवो कम्पनी का जिसके आई.एम.ई.आई. नं. 863883040541174/863883040541166 जिसमें सिम 9024532056 जीयो कम्पनी की चालू हालत में लगी हुई है उक्त मोबाईल को स्विच ऑफ किया जाकर जामा तलाशी में जप्त किया जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। प्रकरण हाजा में शील्ड शुदा माल को श्री रविन्द्र कुमार हैड़ कानि. 28 को दुरूस्त हालत में सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया। स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष आरोपी कप्तान सिंह व दिनेश कुमार की उपस्थिति में विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर चालू किया जाकर सुना गया तो उसमें वक्त रिश्वत लेन–देन एवं मोबाईल से परिवादी रमेश एवं आरोपी कप्तान सिंह लाईनमैन व दिनेश कुमार के मध्य हुई वार्ता व वक्त रिश्वत लेन देन परिवादी श्री रमेश एवं आरोपी दिनेश कुमार (प्राईवेट व्यक्ति) के मध्य हुई आमने सामने की वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई। परिवादी से पूछ–पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द रूपान्तरण तैयार किया गया तथा उक्त वार्ता की एक पैन ड्राईव मूल न्यायालय हेतु व तीन डीबीडीयां क्रमश– दो मुलजिम प्रति एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर उन पर मार्क बी अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मूल पैन ड्राईव, व दो मुलजिम डीबीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त कर कब्जा पुलिस लिया जाकर श्री रविन्द्र कुमार हैड़ कानि.28 मालखाना प्रभारी के सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया तथा आईओ प्रति डीवीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया।

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से परिवादी रमेश से उसके घरेलू बिजली कनेक्शन में मीटर लगाने एवं पुराने बिजली का बिल बकाया होने का भय दिखाकर बिल को समायोजित करने की एवज में आरोपी श्री कप्तान सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति खटीक उम्र 37 साल निवासी वार्ड नं. 10 हाट मैदान राजाखेड़ा धौलपुर हाल तकनीकी सहायक ग्रेड–द्वितीय सब स्टेशन जेवीवीएनएल जाटोली धौलपुर द्वारा 12000/–रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 11000/–रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होना एवं रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान प्राईवेट व्यक्ति दिनेश कुमार के मार्फ़त 5000/–रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना एवं शेष रिश्वत राशि 6000/–रूपये प्राईवेट व्यक्ति दिनेश कुमार को ही देने के लिए कहने पर दिनांक 15.11.2022 को मांग के अनुसरण में दिनेश कुमार प्राईवेट व्यक्ति द्वारा लोकसेवक श्री कप्तान सिह तकनीकी सहायक ग्रेड–द्वितीय जेवीवीएनएल सब स्टेशन जाटोली जिला धौलपुर के लिए 6000/–रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना व रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात् परिवादी द्वारा जरिये मोबाईल फोन वार्ता करने पर एवं प्राईवेट व्यक्ति दिनेश कुमार की वार्ता कराने पर कप्तान सिंह द्वारा रिश्वत राशि ली जाकर रखने की सहमति जाहिर करना धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 व 120 बी आई.पी.सी के तहत दण्डनीय अपराध होने पर आरोपीगण 1. श्री कप्तान सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति खटीक उम्र 37 साल निवासी वार्ड नं. 10 हाट मैदान राजाखेड़ा धौलपुर हाल तकनीकी सहायक ग्रेड–द्वितीय सब स्टेशन जेवीवीएनएल जाटोली धौलपुर 2–दिनेश कुमार पुत्र श्री सोवरन जाति कुम्हार उम्र 38 साल निवासी वार्ड 30 रूहाई मौहल्ला राजाखेड़ा धौलपुर दलाल (प्राइवेट व्यक्ति) के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर प्रेषित है।

(सुरेन्द्र सिंह)
पुलिस उप अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
धौलपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री कप्तान सिंह पुत्र भगवान सिंह, तकनीकी सहायक, ग्रेड-द्वितीय, सब स्टेशन, जेवीवीएनएल, जाटोली धौलपुर एवं 2. श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री सोवरन, दलाल(प्राईवेट व्यक्ति) निवासी वार्ड 30 रूहाई मौहल्ला राजाखेड़ा धौलपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 442/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

16/11/22

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 3828-31 दिनांक 16.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रटाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, जयपुर डिस्कॉम, धौलपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर।

16/11/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।